बिन्दु संख्या –1

नीतिगत निर्णय एवं उनकी आदिनांक क्रियान्विति की स्थिति
(दिसम्बर, 08 से अगस्त,10 तक)

क्र. सं.	नीतिगत निर्णय	क्रियान्विति की वर्तमान स्थिति	Status
1	वर्तमान में जिला प्रमुख, प्रधान एवं सरपंचों के क्रमशः 4 हजार रूपये, 2 हजार 600 रूपये एवं 600 रूपये के मानदेय को बढाकर क्रमशः 5 हजार 100 रूपये, 3 हजार 100 रूपये एवं 1 हजार रूपये किया जावेगा। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के बैठक भत्ते की वर्तमान दरों में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जावेगी।	• परिवर्तित बजट भाषण 2009–10 में की गई घोषणा के अनुसार सरपंच के 600 से 1000 रूपये, पंचायत समिति प्रधान के 2600 से 3100 रूपये एवं जिला प्रमुख के 4000 से 5100 रूपये मानदेय तथा पंचायती राज जनप्रतिनिधियों में सदस्य, ग्राम पंचायत के 40 से 50 रूपये, पंचायत समिति सदस्य के 60 से 75 रूपये, जिला परिषद सदस्य के 75 से 90 रूपये बैठक भत्तों में वृद्धि के आदेश विभागीय पत्र क्रमांक 6439 दिनांक 1.9.09 के द्वारा जारी किये जा चुके है। • माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर, 09 को नागौर में की गई घोषणा के अनुसार सरपंच के 1000 से 3000 रूपये, पंचायत समिति प्रधान के 3100 से 5000 रूपये एवं जिला प्रमुख के 5100 से 7500 रूपये मानदेय तथा पंचायती राज जनप्रतिनिधियों में सदस्य, ग्राम पंचायत के 50 से 75 रूपये, पंचायत समिति सदस्य के 75 से 100 रूपये, जिला परिषद सदस्य के 90 से 125 रूपये बैठक भत्ते में वृद्धि किये जाने के आदेश विभागीय अधिसूचना क्रमांक 7387 दिनांक 22.10.09 द्वारा जारी किये जा चुके है।	Impleme nted
2	जिला प्रमुखों की यात्राओं के दिवसों को 120 से बढाकर 240 दिवस प्रति वर्ष किया जा रहा है। प्रधानो के लिये यात्राओं के दिवस 60 दिन से बढाकर एक वर्ष में 120 दिन किये जा रहे है।	विभागीय आदेश क्रमांक 1251 दिनांक 12.4.2010 द्वारा जिला प्रमुखों की यात्राओं के दिवसों को 120 से बढाकर 240 दिवस तथा प्रधानो के लिये यात्राओं के दिवस 60 दिन से बढाकर 120 दिन प्रति वर्ष किये जाने के आदेश जारी किया जा चुके है।	Impleme nted
3	पंचायती राज संस्थाओं को भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक बनाने के लिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों, के पुनर्सीमांकन एवं पुनर्गठन पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा।	पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्सीमांकन एवं पुनर्गठन के प्रस्तावों का मंत्रीमण्डल की बैठक में दिनांक 3.8.09 को अनुमोदन हो चुका है। जिला कलेक्टर्स से सुझावों एवं ऐतराजों प्राप्त अनुशंषा के आधार पर पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 10 व 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय पत्रांक 2996 दिनांक 28.10.09 के द्वारा 10 नई पंचायत समितियों के नवसृजन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इस प्रकार अब कुल 249 पंचायत समितियां है।	Impleme nted
4	राज्य वित्त आयोग–तृतीय के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की राशि का उपयोग पीने के पानी सम्बन्धी कार्यो पर प्राथमिकता	राज्य में भीषण गर्मी में पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य वित्त आयोग–तृतीय के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की राशि का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा किये जाने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 18 जून, 2008 को जारी दिशा निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुये अनुदान की राशि का उपयोग पीने के पानी सम्बन्धी कार्यो पर प्राथमिकता से करने के आदेश दिनांक 2.06.09 को जारी किये गये।	Impleme nted

क्र. सं.	नीतिगत निर्णय	क्रियान्विति की वर्तमान स्थिति	Status
5	पंचायती राज संस्थाओं में लेखा संधारण की पालना सुनिश्चित करना	पंचायती राज संस्थाओं को पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 336(10) के अनुसार लेखा संधारण की पालना सुनिश्चित करने हेतु समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियो को समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 3649 दिनांक 30.7.09 द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे समय समय पर पंचायती राज संस्थाओं के लेखा संधारण की व्यवस्था का निरीक्षण करें तथा विकास अधिकारी/लेखाधिकारी एवं लेखाकारगण को प्रतिमाह ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करने हेतु पाबन्द करें। साथ ही लेखा संधारण में पायी गयी कमियों, दुर्विनियोजन, चोरी, प्रारूप प्रालेख व विशेष जांच, अग्रिम के प्रकरणों के ध्यान में आते ही अविलम्ब अनियमित राशि की वसूली, पुलिस कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। यदि उक्तानुसार कार्यवाही समय रहते नहीं की जाती है तो सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।	**Implemented**
6	प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान विकसित करना तथा ग्रामीण खेलकूदों को बढावा देना।	जिन ग्राम पंचायतों में खेल मैदान हेतु भूमि उपलब्ध है उन ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों को विकसित करने तथा ग्रामीण खेलकूदों को बढावा देने के संबंध में खेल एवं युवा मामलात विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 में केन्द्रीय परिवर्तित योजना ''पंचायत युवा खेल एवं क्रीडा अभियान'' (PYKKA) के अन्तर्गत राज्य में 869 ग्राम पंचायतों एवं 24 ब्लाक पंचायतों में खेल मैदान तैयार किये जा रहे है जिसकी कुल लागत 989.00 लाख रू. निर्धारित की गई है जिसमें राज्य का हिस्सा 247.25 लाख रू है। प्रथम किश्त की राशि 494. 50 लाख रू. ग्राम पंचायतो को जिला परिषद् के माध्यम से प्रेषित कर दी गई है। जिलो से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त की भारत सरकार से मांग की जा सकेगी। खेलकूद विभाग, बी.आर.जी.एफ., नरेगा, पंचायती राज संस्थाओं की निजी आय एवं अन्य अन्टाइड फण्ड आदि विभिन्न योजनाओं के तहत ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों का विकास किया जावेगा।	**Under Process**
7	पंचायती राज जन प्रतिनिधियों की जांचों का निस्तारण	पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के विरूद्ध शिकायत की जांच रिपोर्ट की तथ्यात्मक टिप्पणी/प्रस्ताव संभागीय आयुक्त/जिलों से प्राप्त हाने के पश्चात विभागीय स्तर पर परीक्षण कर अविलम्ब निस्तारित की जाएंगी।	**Continues Process**
8	राज्य में ''राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा'' का गठन पूर्व वर्षों में किया गया था। इस सेवा के 150 विकास अधिकारी के पदों पर चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है।	राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के तहत वर्ष 2007-08 में 75 पदो को भरने की कार्यवाही अन्तिम चरण में है। परन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति पर स्थगन है। आगामी पेशी माह अक्टूबर, 2010 के प्रथम सप्ताह में नियत है। वर्ष 2008-09 के लिये 75 पदो पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। अग्रिम कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा एवं आयोग कार्मिक विभाग द्वारा की जानी है।	**Implemented**

क्र. सं.	नीतिगत निर्णय	क्रियान्विति की वर्तमान स्थिति	Status
8.1	आगामी वर्ष में भी 74 अतिरिक्त पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।	**वर्ष 2009-10 हेतु शेष 74 पदों हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस संबंध में कार्मिक विभाग को अर्थना भिजवा दी गई है। इन पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।**	**Under Process**
8.2	इसके अतिरिक्त राज्य में ''राजस्थान ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा'' का गठन करना प्रस्तावित है।	**राजस्थान ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा के प्रस्ताव अनुमोदन उपरान्त कार्मिक विभाग को दिनांक 24.5.10 को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दिया था। कार्मिक विभाग द्वारा चाही गई अतिरिक्त सूचना के साथ पत्रावली ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पुन दिनांक 1.07.10 को कार्मिक विभाग को भिजवादी गई है। प्रकरण अतिरिक्त सूचनाओं के लिये कार्मिक विभाग से दिनांक 3/9/10 को प्राप्त हुआ है। जिसका परीक्षण कर शीघ्र सूचना प्रेषित की जा रही है।**	**Under Process**
9	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम	बी.आर.जी.एफ. योजना की क्षमता निर्माण मद के तहत चयनित सभी 12 जिलों के नव निर्वाचित जिला प्रमुख, प्रधान, जिला आयोजना समिति के सदस्यों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/ विकास अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान द्वारा आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के तहत इस हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध करवायी जा चुकी है।	Under Process
10	ग्राम पंचायतों को तकनीकी दृष्टि से उन्नत करना	बी.आर.जी.एफ. योजना में क्षमता निर्माण मद के तहत चयनित जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में ई–कनेक्टिविटी स्थापित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2007–08 में 126 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। क्षमता निर्माण मद में अवशेष राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में चालू वित्तीय वर्ष में 669 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर क्रय कर सुलभ करवाये जा चुके है। इसके साथ ही क्षमता निर्माण की पंचवर्षीय योजना 2007–12 के तहत 1100 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर उपलब्ध करवाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।	under Progress
11	Plan Plus software के तहत योजना निर्माण	विकेन्द्रीकृत जिला आयोजना प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं सुविधाजनक रूप से तैयार करने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) के माध्यम से प्लान–प्लस साफ्टवेयर तैयार किया गया है। बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक जिला योजनाओं को सॉफ्टवेयर में दर्ज करने हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों की पालना में सभी चयनित जिलों के अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं मुख्य आयोजना अधिकारियों को दिनांक 24–25 सितम्बर, 2008, 18 फरवरी 09, 8–11 जून, 2009 एवं अप्रेल 2010 में एक तथा जून 2010 में तीन दो–दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में दिये जा चुके है। वर्तमान में लगभग सभी चयनित जिलों में जिला वार्षिक योजना 2007–08, 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11 तथा क्षमता मद की जिला वार्षिक योजना वर्ष 2006–07 व 2007–10 के समंकों को उक्त साफ्टवेयर में दर्ज किया जाकर कार्यक्रम की विभाग स्तर पर निरन्तर मानेटरिंग की जा रही है।	Under Process
12	Plan Plus software से संबंधित प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करना।	जिला स्तरीय अधिकारियों एवं कार्मिकों की Plan Plus software से संबंधित प्रशिक्षण कार्यशाला NIC के माध्यम से अप्रेल 2010 में एक तथा जून 2010 में तीन दो–दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है।	Implemented
13	नरेगा एवं बी.आर.जी.एफ. कार्यो में समन्वय	बी.आर.जी.एफ. एवं नरेगा योजनाओं के कार्यो को समन्वय के क्रम में जिलों को नरेगा के तहत निर्मित ग्रेवल सड़कों को बी.आर.जी.एफ. से डामरीकृत करवाने के प्रस्ताव जिला वार्षिक योजना 2009–10 एवं आगामी जिला वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित किये जाने के निर्देश बी.आर.जी.एफ.योजनान्तर्गत चयनित जिलों के अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को विभागीय पत्रांक 318 दिनांक 25.06.2009 के द्वारा जारी किये गये है।	Implemented

क्र. सं.	नीतिगत निर्णय	क्रियान्विति की वर्तमान स्थिति	Status
14	युवाओं को पंचायतों में भी आरक्षण	युवाओं को पालिकाओं में आरक्षण दे दिया गया है अब पंचायतों में भी आरक्षण दिये जाने सम्बन्धी अध्यादेश जारी हो चुका है। परन्तु डी बी सिविल रिट याचिका संख्या 15303/2009 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7.12.09 '' In any case horizontal reservation should not be exceed to more then 50% '' की अनुपालना में विभागीय आदेश क्रमांक 4354 दिनांक 17.12.09 द्वारा फिलहाल स्थगन के आदेश दिये गये।	**Implemented**
15	राजीव गांधी केन्द्र की स्थापना	राज्य में एक परियोजना के रूप में 249 पंचायत समिति स्तर पर 25–25 लाख की लागत से व 9168 ग्राम पंचायत स्तर पर 10–10 लाख की लागत से राजीव गांधी आई टी केन्द्रों का निर्माण **नरेगा योजनान्तर्गत** करवाया जा रहा है। इस कार्य हेतु बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत बी0आर0जी0एफ0 जिलो की 87 पंचायत समितियों में प्रत्येक पंचायत समिति के लिये 16.75 लाख रू0 अतः कुल 14.57 करोड रूपये दिये गये ।	--------
16	सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम वासियों को आबादी पट्टा प्रदान किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।	**सभी** ग्राम पंचायतों में आबादी **पट्टे प्रदान** किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की क्रियान्विति के क्रम में सर्वे कार्यवाही एवं आबादी विस्तार हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। जिलो द्वारा सर्वे कार्य करवाया जा रही है। सर्वे कार्यवाही के बाद आबादी विस्तार की संभावना के मध्येनजर आबादी हेतु भूमि उपलब्ध करवाने बाबत प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी (जिला कलक्टर/राज्य सरकार) को प्रस्तुत किये जावेंगे। प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 7/4/2010 द्वारा आबादी **पट्टे प्रदान करने हेतु आवश्यक भूमि आवंटन की कार्यवाही प्राथमिकता पर करने हेतु जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया है।** इसी क्रम में सर्वे कार्यवाही उपरान्त उपलब्ध आवासीय भूमि के इच्छुक चिन्हीत पात्र आशार्थियों को पट्टा वितरण की कार्यवाही आगामी प्रस्तावित ग्राम सभाओं के दौरान करने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 10/09/2010 के द्वारा **निर्देशित किया गया है।**	**Under Progress**
17	सभी मदरसों में विद्यार्थियों के लिये मध्यान्ह भोजन की योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।	वर्तमान में राज्यभर में 1966 मदरसों में अध्ययनरत 1,93,036 छात्रों को मिड डे मील कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे है। इसके अतिरिक्त 946 ऐसे मदरसे है जो गैर अनुदानित की श्रेणी में आते है। केबिनेट निर्णय के अनुसार 946 मदरसों में अध्ययनरत 45,282 छात्रों को भी मिड डे मील कार्यक्रम से लाभान्वित किया जाना है। इसके पश्चात् राज्य के सभी पंजीकृत मदरसों में जहां पैरा टिचर्स नियुक्त है/कर दिये गये है, के छात्र मिड डे मील से लाभान्वित होना प्रारंभ हो गये है।	**Under Progress**
18	पटवारियों एवं ग्राम सेवको हेतु मोबाईल सेवा की व्यवस्था की जावेगी।	मंत्रीमंडल आज्ञा संख्या 113/ 2009 की क्रियान्विति के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग के ग्राम सेवक एवं समस्त नियन्त्रण अधिकारियों को मोबाईल हैंण्डसेट उपलब्ध करवाये जाने का राज्य सरकार का निर्णय लिया जा चुका है। महिला अधिकारिता विभाग के कार्यालय आदेश दिनांक 16.3.2010 द्वारा विभाग को 3000 मोबाईल हैंण्डसेट उपलब्ध करवाये गये है। जिन्हे 7 जिले यथा भरतपुर, बाडमेर, भीलवाडा, राजसमंद, नागौर, पाली व उदयपुर जिलो को कुल 2998 एवं शेष जिला परिषदों को मोबाईल हैंण्डसेट उपलब्ध कराने की व्यवस्था आयुक्त नरेगा द्वारा करवाये जा रहे है।	**Under Progress**
19	नीतिगत दस्तावेज के तहत विषयों का हस्तानान्तरण	नीतिगत दस्तावेज के तहत प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओ को 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत अधिकार दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।	

<u>विभाग में दिसम्बर–2008 से माह अगस्त, 10 तक अर्जित महत्वपूर्ण (Tentative)वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां</u>

1. आवासीय भूखण्ड आवंटन एवं पट्‌टे जारी करना :

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में **24822** आवास विहीन गरीब परिवारों को रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आवंटित किये गये हैं।
- **23605** बी. पी. एल. परिवारों को निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटित किये गये हैं।
- **44438** पुराने आवासीय भवनों के पट्‌टे जारी किये गये।
- **27512** मकानों के नियमितिकरण के पट्‌टे जारी किये गये।
- योजनान्तर्गत कुल 120377 लाभार्थियों में से अनुसूचित जाति के **38149** एवं अनुसूचित जन जाति के **20509** परिवार लाभान्वित किये गये।

2. पिछडा क्षेत्र अनुदान कोष (बी.आर.जी.एफ.)

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 से चयनित 12 जिलों में पिछड़ा क्षेत्र विकास (बी.आर.जी. एफ) कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।
- माह दिसम्बर, 08 से अगस्त, 10 तक भारत सरकार से योजनान्तर्गत **456.23** करोड़ की राशि प्राप्त कर कार्यकारी एजेन्सी एवं सम्बन्धित जिलों को हस्तानान्तरित की जा चुकी है।
- माह दिसम्बर, 08 से अब तक जिलों द्वारा उपलब्ध राशि में से 330.14 करोड़ की राशि व्यय कर 12503 कार्य **पूर्ण करवाये गये।.**

3. जिला आयोजना का निर्माणः

- विकेन्द्रित जिला आयोजना की प्रक्रिया को अपनाते हुये 11 वीं पंचवर्षीय जिला योजना 2007–12 तैयार की गई। 11 वीं पंचवर्षीय जिला योजना के तहत ग्राम/वार्ड स्तर के प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वार्षिक जिला योजना 2008–09 / 2009–10 का निर्माण करवाया गया। राज्य के सभी लगभग 40000 गाँवों एवं नगर निकायों को इस प्रक्रिया में सम्मिलित करते हुए उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त योजना निर्माण के प्रस्ताव तैयार किये जाकर ग्राम/वार्ड सभाओं की बैठकों में इन पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्राथमिकताऐं निर्धारित की गई।

3.1 निर्बन्ध राशि योजनाः

- यह योजना वित्तीय वर्ष 2007–08 से प्रारंभ की गई है। माह दिसम्बर, 08 से अब तक 1600.00 लाख की अनुदान राशि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तानान्तरित की गई। तथा 825.00 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

4. राज्य वित्त आयोग–तृतीय की पंचाट अवधि 2005–2010 है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं के रख–रखाव हेतु माह दिसम्बर, 08 से अब तक 580.84 करोड़ की अनुदान राशि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तानान्तरित की गई।

5- बारहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि 2005–2010 है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी क्रिया–कलापों हेतु माह दिसम्बर, 08 से अब तक 36900.00 लाख की अनुदान राशि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तानान्तरित की गई है।

6. तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय अनुदान के रूप में पंचाट अवधि 2010–11 से 2014–15 तक है। भारत सरकार से प्रथम किस्त की राशि बेसिक ग्रान्ट के रूप में 185.03 करोड़ रूपये (सामान्य में 183.34 एवं स्पेशल ऐरिया में 1.69 करोड़ रूपये) प्राप्त कर उसे पंचायती राज संस्थाओं को हस्तानान्तरित की गई है।

6. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजनाः

- वर्ष 2006–07 में 267 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण/विस्तार/परिवर्तन/ मरम्मत / जीर्णोद्धार हेतु 400 लाख़ रूपये सम्बन्धित जिला परिषदों को हस्तान्तरित की गई जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 08 से अब तक योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि 85.90 लाख में से 52.29 लाख की राशि व्यय कर 136 कार्य **पूर्ण करवाये गये।**
- योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में द्वितीय किश्त रूपये 300.00 लाख भारत सरकार द्वारा माह दिसम्बर 2009 में रिलीज एवं राज्य मद की मैचिंग शेयर राशि 100.00 लाख इस प्रकार कुल उपलब्ध 400.00 लाख राशि के विरूद्ध 16 जिलों में 88 नवीन ग्राम पंचायतों भवनो के निर्माण एवं 158 ग्राम पंचायत भवनो के विस्तार/जिर्णोद्वार कार्यो कुल 246 कार्यो की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जारी कर 198 कार्य प्रारंभ करवाये जा चुके है, जिसमें से 112.38 लाख रूपये व्यय (28 प्रतिशत) किये जाकर 12 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके है। सभी कार्य इसी वित्तीय वर्ष मे पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे है।
- योजनान्तर्गत 246 भवनों के निमार्ण का कार्य प्रारंभ कर रूपये 112.38 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है।

7. जिला परिषदों/पंचायत समितियों के भवनों का विस्तार/ मरम्मत :

- जिला परिषद्ों/पंचायत समितियों की आवश्यकतानुसार भवनों का विस्तार/ परिवर्तन/परिवर्धन/मरम्मत के लिये 50 प्रतिशत राशि निजी आय से उपलब्ध होने पर 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आयोजना मद से उपलब्ध करायी जाती है।
- वर्ष 2009–10 में 50 लाख का प्रावधान है जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार सम्बन्धित 5 जिलों की 2 जिला परिषद(पाली व स0 माधोपुर) एवं 4 पंचायत समितियो (बैर, सांगोद, तिजारा व सुमेरपुर) को 50 लाख की राशि हस्तान्तरित कर दी गई है।
- वर्ष 2010–11 में 50 लाख का प्रावधान है। जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार रूपये 49.25 लाख की 2 कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

<u>बिन्दु संख्या – 3</u>

विभाग की गतिविधियों/उपलब्धियों/योजनाओं के बारे में विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा की गई प्रशंसा/पुरस्कार (माह दिसम्बर, 08 से अब तक)

------Nil-------

<u>बिन्दु संख्या – 4</u>

विभाग द्वारा किये गये अभिनव प्रयोग एवं क्रियान्वित किये गये नवाचार
(दिसम्बर, 08 से अगस्त, 2010 तक)

क्र स	लागू किया गया नवाचार	वर्तमान प्रगति	विशेष विवरण
1	**प्रत्येक ग्राम के लिये मास्टर प्लान बनाया जायेगा**	गांवों का मास्टर प्लान शहरों की भांति तैयार किया जाना है। शहरों का मास्टर प्लान नगर नियोजन विभाग द्वारा तैयार किया जाता है तथा राज्य / संभाग/जिला स्तर पर इस कार्य हेतु नगर नियोजन विभाग के पास तकनीकि विशेषज्ञ कार्यरत है। गांवों के मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में मा0 अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में दिनांक 3.8.2010 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार एवं पंचायतीराज विभाग की पत्रावली एफ 4 **( ) /परावी/पीसी/मा0प्लान/2010** के अनुच्छेद 59 एन पर मा0 मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदनानुसार (CMO ID No. F10003278) मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य नगर नियोजन विभाग (UDH) द्वारा किया जावेगा। मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नगर नियोजन विभाग (UDH) द्वारा प्रथम चरण में 100 गांवों का मास्टर प्लान तैयार करने की सहमति दी है। मा0 मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदनानुसार **मास्टर प्लान तैयार करने हेतु अब कार्यवाही नगर नियोजन विभाग (UDH) के स्तर से होनी है।** अतः ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	

बिन्दु संख्या – 5
विभिन्न पदों पर दी गई नवीन नियुक्तियां एवं विभागीय पदोन्नतियां, सृजित नवीन पदों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	दिसम्बर, 03 से अगस्त, 05 तक की प्रगति					दिसम्बर, 08 से अगस्त, 10 तक की प्रगति				
		नवीन सृजित पद	दी गई नियुक्तियां			पदोन्नतियां	नवीन सृजित पद	दी गई नियुक्तियां			पदोन्नतियां
			नियमित	संविदा	मृतक आश्रित			नियमित	संविदा	मृतक आश्रित	
1	सहायक अभियन्ता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
2	कनिष्ठ अभियन्ता	—	—	—	—	—	—	160	—	—	25
3	कार्यालय अधीक्षक	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
4	कार्यालय सहायक					2					5
5	कनिष्ठ लिपिक	—	—	—	—	3	—	—	—	2	5
6	पंचायत प्रसार अधिकारी	—	—	—	—	307	—	—	—	—	22
7	च.श्रे.क.										1
	योग	—	—	—	—	**313**	—	**160**	—	**2**	**71**

बिन्दु संख्या – 6

गत सरकार के कार्यकाल (8 दिसम्बर, 2003 से अगस्त, 05) एवं वर्तमान सरकार के कार्यकाल (13 दिसम्बर, 2008 से अगस्त,10) तक तुलनात्मक प्रगति

क्र. सं.	मद	इकाई	गत सरकार के कार्यकाल (8 दिसम्बर, 03 से अगस्त, 05) तक उपलब्धि	वर्तमान सरकार के कार्यकाल (13 दिसम्बर, 08 से अगस्त,10) तक उपलब्धि
1	2	3	4	5
1	अनुदान राशि (BRGF)	Rs in Crore	–	456.23
2	ग्यारहवें/बारहवें/तेरहवें वित्त आयोग अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुदान	Rs in Crore	245.47	739.06
3	राज्य वित्त आयोग–द्वितीय/ तृतीय के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुदान	Rs in Crore	214.30	580.84
4	निर्बन्ध राशि योजना		–	24.25
5(i)	आवासीय भूखण्ड आवंटन			
अ	रियायती दर पर	Nos.	58901	24822
ब	बी0पी0एल0 परिवारों को निशुल्क	Nos.	–	23605
5(ii)	पट्टे जारी करना			
अ	पुराने भवनों के पट्टे	Nos.	–	44438
ब	विनियमितिकरण के पट्टे	Nos.	–	27512
	उक्त भूखण्ड आवटन/ पट्टे जारी में से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों लाभान्वित हुए	Nos.	11778	20509
	उक्त भूखण्ड आवटन/ पट्टे जारी में से अनुसूचित जाति के व्यक्ति लाभान्वित हुए	Nos.	25158	38149
	उक्त भूखण्ड आवटन/ पट्टे जारी में से अन्य वर्गो के व्यक्ति लाभान्वित हुए	Nos.	24189	61719

बिन्दु संख्या – 7

वर्ष 2010–11 के महत्वपूर्ण वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य एवं संदर्भित माह तक की प्रगति

1. बारहवें वित्त आयोग के तहत अनुदानः

- **बारहवें वित्त आयोग** की **पंचाट अवधि 2005–2010** है जो समाप्त हो चुकी है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी क्रिया–कलापों हेतु पंचाट अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को कुल अनुदान 1230 करोड़ रूपये उपलब्ध करवाये गये थे। जिसमें से जिलों द्वारा मार्च, 10 तक 962.62 करोड़ व्यय किये जा चुके है।
- वित्तीय वर्ष 2010–11 में **जिलों में शेष उपलब्ध राशि 267.38 करोड़ में से अगस्त, 2010 तक 50.64 करोड़ व्यय किये जा चुके है तथा 30353 कार्य के लक्ष्य के विरूद्ध 8804 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके है।**

2. तेरहवां वित्त आयोगः

विभाग द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय अनुदान के रूप में पंचाट अवधि 2010–11 से 2014–15 तक के लिये 1600.42 करोड के अतिरिक्त प्रस्ताव दिये गये है। उक्त प्रस्ताव बारहवें वित्त आयोग पंचाट अवधि 2005से 2010 तक के आवंटित राशि 1230 करोड के अतिरिक्त है। अतः इस योजना के अन्तर्गत राज्य के समग्र विकास हेतु तेरहवें वित्त आयोग में बारहवें आयोग की राशि को सम्मिलित करते हुए रूपये 2830.42 (1230–1600.42) करोड की मांग प्रस्तावित है।

भारत सरकार से प्रथम किस्त की राशि बेसिक ग्रान्ट के रूप में 185.03 करोड़ रूपये (सामान्य में 183.34 एवं स्पेशल ऐरिया में 1.69 करोड़ रूपये) प्राप्त कर उसे पंचायती राज संस्थाओं को हस्तानान्तरित की गई है।

3. राज्य वित्त आयोग– तृतीय के तहत अनुदानः

- **राज्य वित्त आयोग– तृतीय** की पंचाट अवधि 2005–2010 है जो समाप्त हो चुकी है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षैत्रों में विभिन्न सेवाओं के रख–रखाव हेतु पंचाट अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को कुल अनुदान 1189.56 करोड़ रूपये उपलब्ध करवाये गये थे। जिसमें से जिलों द्वारा मार्च, 10 तक 678.97 करोड़ व्यय किये जा चुके है।
- वित्तीय वर्ष 2010–11 में जिलों में शेष उपलब्ध राशि 509.59 करोड़ में से अगस्त, 10 तक 81.10 करोड़ व्यय किये जा चुके है तथा 25223 कार्य के लक्ष्य के विरूद्ध 8375 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके है।

4 राज्य वित्त आयोग– चतुर्थ के तहत अनुदानः

योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षैत्रों में विभिन्न सेवाओं के रख–रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में 150.00 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रावधान रखा गया है।

5. पिछडा क्षेत्र अनुदान कोष (बी.आर.जी.एफ.)

- वित्तीय वर्ष 2010–11 में रूपये 288.52 करोड़ का वित्तीय प्रावधान के विरूद्ध भारत सरकार से योजनान्तर्गत 148.07 करोड़ की राशि प्राप्त हो गयी है जो कार्यकारी एजेन्सी एवं सम्बन्धित जिलों को हस्तानान्तरित की जा चुकी है।
- वित्तीय वर्ष 2010–11 में जिलों में 1.4.2010 को शेष उपलब्ध राशि 134.85 करोड़ में से अगस्त, 10 तक 57.67 करोड़ व्यय किये जा चुके है तथा 15422 कार्य के लक्ष्य के विरूद्ध 2042 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके है।

6. निर्बन्ध राशि योजनाः

- वित्तीय वर्ष 2010–11 में रूपये 1650.00 लाख का वित्तीय प्रावधान है। जिसमें से 825 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
- आलौच्च वित्तीय वर्ष 2010–11 में जिलों में 1.4.2010 को शेष उपलब्ध राशि 920.41 लाख में से माह अगस्त, 10 तक 67.33 लाख की राशि व्यय हो चुकी है। योजना अन्तर्गत शेष 518 कार्य में से 38 कार्य पूर्ण करवाये गये।

7. रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आवंटनः

वर्ष 2010–11 में आवासीय भूखण्ड निशुल्क/रियायती दर एवं पुराने भवनों के व विनियमितीकरण के पट्टे जारी करने के टेन्टेटिव लक्ष्य 60000 के विरूद्ध माह अगस्त, 10 तक 14296 आवासीय भूखण्ड आवंटित एवं पट्टे जारी कर ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया गया।

योजनान्तर्गत अनु.जाति, अनु. जनजाति एवं महिलाओं को आवंटित भूखण्डों की प्रगति निम्नानुसार है।

	House Site Allotment	Target	Achievement upto the month				
			SC	ST	Other	Total	Female
(i)	Issued Pattas for regularization of old houses	20000	1704	859	2177	4740	
(ii)	Issued Pattas for regularization of possession	10000	874	498	1094	2466	
(iii)	Allotment of plots at nominal rates	17000	1033	721	1436	3190	
(iv)	Allotment of plots at free of charge to BPLFamilies	13000	1546	740	1614	3900	
	Total	**60000**	**5157**	**2818**	**6321**	**14296**	**215**

—————